



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (नियम 4 क देखिए) प्ररूप -26


प्रतापगढ़ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

10 प्रतापगढ़ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन उ0प्र0 विधान परिषद (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र
भाग- क

मैं, अक्षय प्रताप सिंह पुत्र शिव प्रताप सिंह आयु 46 वर्ष, जो ग्राम व पोस्ट बेंती, तहसील कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ (डाक का पूरा पता लिखें) का निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ :-

- (1) मैं समाजवादी पार्टी (राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।
(जो लागू न हो उसे काट दें)
- (2) मेरा नाम 246 विधान सभा कुण्डा उ0प्र0 (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं0 130 के क्रम सं0 477 पर प्रविष्ट है।
- (3) मेरा सम्पर्क टेलीफोन नं0 9415229851 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो)लागू नहीं है।
- (4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति

क्रम सं0	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूप में)
1	स्वयं	AOTPS2632H	2015-2016	1349699
	पति या पत्नी	ARXPS2030A	2014-2015	813566



3	आश्रित -1	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।
4	आश्रित -2	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।
5	आश्रित -3	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।

- (5) मैं ऐसे किसी लम्बित मामलों में दो या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/ की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं। जी हाँ यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध अपराध (अपराधों) का/ की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/ करेगी :-
- (i) निम्नलिखित मामला(मामले) मरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	<ol style="list-style-type: none"> 81/96 थाना ऊँचाहार, जनपद रायबरेली, उ०प्र०। 513/10 थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उ०प्र०। 65/98 थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़ उ०प्र०। 1548/97 थाना सदर कोतवालीनगर जनपद प्रतापगढ़ उ०प्र०। 20/13 थाना हथिगवाँ, जनपद प्रतापगढ़ उ०प्र० {R.C.3(S)2013/C.B.I. SC-1/NEW DELHI} 362/99 थाना सिविल लाइन्स जनपद इलाहाबाद उ०प्र०। 363/99 थाना सिविल लाइन्स जनपद इलाहाबाद उ०प्र०।
(ख)	सम्बन्धित अधिनियम(अधिनिमयों)की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	<ol style="list-style-type: none"> धारा 323,504,506 भा०द०वि धारा 395,397,307,364,325,504,506,427,34 भा०द०वि० व 7सीएलए एक्ट। धारा 147,148,149,307 भा०द०वि०। धारा 420,468,471 भा०द०वि०। धारा 302,504,506 120 बी भा०द०वि०। धारा 352,504,506 भा०द०वि०। धारा 25/27 आर्म्स एक्ट।
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	<ol style="list-style-type: none"> अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम रायबरेली मु० नं० 256/10 दिनांक 05.03.1997 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ मु० नं० 236/11 दिनांक 27.01.2011 विशेष अपर न्यायाधीश प्रतापगढ़ मु० नं० 729/2006 दिनांक 08.11.2002 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ मु० नं० 1430/98 दिनांक 11.08.1998 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सी०बी०आई० लखनऊ मु० नं० 6/13 दिनांक 17.09.2015 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इलाहाबाद मु० नं० 6261/2002 दिनांक 02.03.2005 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इलाहाबाद मु० नं० 6262/2002 दिनांक 02.03.2005
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की	<ol style="list-style-type: none"> अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायबरेली। आरोप की विरचना नहीं हुई है।



	गई	<ol style="list-style-type: none"> 3. फास्ट ट्रैक कोर्ट, प्रतापगढ़। 4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़। 5. आरोप की विरचना नहीं हुई है। 6. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद। 7. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद।
(ड.)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	<ol style="list-style-type: none"> 1. 19.01.2012 2. आरोप विरचित नहीं हैं। 3. 09.05.2007 4. 29.05.2007 5. आरोप विरचित नहीं है। 6. ज्ञात नहीं है। 7. ज्ञात नहीं है।
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई हैं/हैं	<ol style="list-style-type: none"> 1. लागू नहीं है। 2. लागू नहीं है। 3. लागू नहीं है। 4. लागू नहीं है। 5. न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट लखनऊ द्वारा आदेश दिनांक 14.10.2015 के तहत फौजदारी निगरानी में कार्यवाही रोकी गई है। 6. लागू नहीं है। 7. लागू नहीं है।

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है

[पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं है।
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम(अधिनियमों) की धारा(धाराएं) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	लागू नहीं है।
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील(अपीलों)/ आवेदन(आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	लागू नहीं है।

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)) की धारा 8 की उपधारा(1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/ नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/ नहीं दिया गया है:

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त से सिद्धदोष ठहराया गया है और दंडादिष्ट किया गया है तो निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :
निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम(अधिनियमों) की धारा(धाराएं) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	लागू नहीं है।
(ख)	न्यायालय(न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की	लागू नहीं है।



Handwritten signature or initials at the bottom of the page.


	तारीख(तारीखें)	
(ग)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं है।
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/ है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिथति	लागू नहीं है।

(7) मैं मेरे, मेरे पति/पत्नी तथा सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :


अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :-

- टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए, संयुक्त नाम में आस्तियों का विवरण दिया जाना है।
- टिप्पण 2- जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं०, रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक /सस्था का नाम व शाखा सहित विवरण दिए जाने हैं।
- टिप्पण 3- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंध पत्रों/ शेयरा डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर -सूचीबद्ध कंपनियों की दशा लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।
- टिप्पण 4- यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।
- टिप्पण 5- रकम सहित ब्यौरे, प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी मधुरिमा सिंह	आश्रित -1 देवांशी	आश्रित -2 तिस्यरक्षिता	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	50000/-	120000/-	5000/-	5000/-	लागू नहीं है
(ii)	बैंक, खातों में जमा के (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय सस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कम्पनियों तथा सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	400000/-	20000/-	65000/-	65000/-	लागू नहीं है
(iii)	कम्पनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/ शेयरों तथा यूनितों में विनिधान के ब्यौरे	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं द्वितीय लिखतों में विनिधान और रकम	बीमा पालिसी 1800000/- आर०डी० 10000/- मासिक किस्त	बीमा पालिसी 1500000/- आर०डी० 10000/- मासिक किस्त एफ०डी० 1500000/-	बीमा पालिसी 1800000/- एफ०डी० 51000/-	बीमा पालिसी 200000/-	लागू नहीं है



(v)	किसी व्यक्ति अथवा निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए वैयक्तिक ऋण / अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त व रकम	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
(vi)	मोटर यान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्ररकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	1. यू0पी0 32 बी पी 0001 मारुति बैलेनो माडल 2004 कीमत 100000/- 2. यू0पी0 32 बी वी 0245 मारुति स्विफ्ट माडल 2006 कीमत 100000/- 3. यू0पी0 33 टी 2289 टाटा कीमत 150000/- 4. यू0पी0 36 सी 0001 होण्डा सिटी माडल 2015 कीमत 900000/- 5. यू0पी0 33 ए0ई0 0001 माडल 2013 कीमत 500000/- 6. यू0पी0 65 आर 9270 माडल 2005 कीमत 200000/- 7. यू0पी0 44 टी 3021 माडल 2011 कीमत 500000/- 8. यू0पी0 33 ए0टी0 0777 माडल 2014 कीमत 1000000/- 9. डिस्पोजल की 3 गाडियां जिप्सी, पीजो महिन्द्रा एवं बुलेट कीमत 150000/-	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	1. सोने की चेन 7 अदद वजन करीब 300 ग्राम कीमत 900000/- लगभग 2. सोने की अंगूठी 10 अदद वजन 100 ग्राम लगभग कीमत 300000/- लगभग 3. सोने का कडा 1 अदद वजन करीब 50 ग्राम कीमत 150000/- लगभग	1. सोने के जेवरात 1500 ग्राम लगभग कीमत 4500000/- 2. चांदी 14 किग्रा 0 लगभग कीमत 490000/- लगभग	1. सोने के आभूषण 1500 ग्राम लगभग कीमत 4500000/- 2. चांदी 3 किग्रा 0 लगभग कीमत 100000/-	1. सोने के आभूषण 600 ग्राम लगभग कीमत 1800000/- 2. चांदी 1 किग्रा 0 लगभग कीमत 35000/-	लागू नहीं है
(viii)	कोई अन्य आस्तियों जैसे बंधों / हितों का मूल्य	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
(ix)	समग्र कुल मूल्य	5450000/- लगभग	6630000/- लगभग	4721000/- लगभग	1905000/- लगभग	लागू नहीं है




आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे :-

टिप्पणी 1: संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पणी 2: प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।


क्र०सं०	विवरण	स्वयं	पति / पत्नी का नाम	आश्रित- 1 नाम	आश्रित- 2 नाम	आश्रित- 3 नाम
(i)	कृषि -भूमि की अवस्थिति (अविस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्यांक)	गाटा सं० 509,97 ग्राम जब्बारीपुर ऊँचाहार, रायबरेली। गाटा सं० 2107,2300,2197, 2309,2849,2272,22 89,2273,2286,2287, 634,2283ग,2284क, 1783ग, 1783गमि०,2282,228 3,2526,2527 स्थित ग्राम जामों, जनपद अमेठी।	गाटा सं० 205 स्थित ग्राम जयरामपुर मदारीगंज ऊँचाहार, रायबरेली। गाटा सं० 2192,2303,29, 31,33,34 स्थित ग्राम जामों जनपद- अमेठी।	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	12 एकड़ लगभग	1.5 एकड़ लगभग	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	विरासत से 8 एकड़	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	स्वार्जित 4 एकड़ वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक	वर्ष 2005 से वर्ष 2015 तक	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	400000/-	100000/-	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	विकास सन्निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान "अनुमानित चालू बाजार मूल्य"	500000/- लगभग	200000/- लगभग	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
(ii)	गैर - कृषि -भूमि अवस्थिति (अविस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्यांक)	गाटा सं० 204/1, 203, 209 मि०, 208 मि०, 215 मि०, 214मि० स्थित ग्राम जयरामपुर मदारीगंज ऊँचाहार, जनपद रायबरेली। गाटा सं० 161 मि०, स्थित ग्राम कटरा लालगंज गौरीगंज, अमेठी गाटा सं० 2104 स्थित ग्राम जामों जनपद अमेठी	गाटा सं० 203 मि०, 208 मि०, 209 मि० 214, 215 स्थित ग्राम जयरामपुर मदारीगंज ऊँचाहार, रायबरेली। गाटा सं० 2096, 2103, 2105, 2106, 2386, 2104 स्थित ग्राम जामों जनपद अमेठी।	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	103000/- वर्ग फुट लगभग	54000 वर्ग फुट लगभग	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	हाँ ग्राम जामों की	हाँ ग्राम जामों की	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है



Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	वर्ष 2000 से वर्ष 2014 तक	वर्ष 2000 से वर्ष 2014 तक	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	भू-खण्ड की मूल्य (क्रय करने के मामले में) क्रय करते समय	200000/-	100000/-	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	200000/-	100000/-	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	विकास सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	700000/- लगभग	350000/-	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित), अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	कोल्ड स्टोरेज गाटा सं0 215, 214 स्थित ग्राम जयरामपुर मदारीगंज ऊँचाहार, जनपद रायबरेली। गैस एजेन्सी गाटा सं0 204/1 स्थित ग्राम जयरामपुर मदारीगंज ऊँचाहार, जनपद रायबरेली। बैंक आफ बडौदा 160,159 स्थित ग्राम कटरा लालगंज गौरीगंज, अमेठी 162 पंजाब नेशनल बैंक।	पेट्रोल पम्प गाटा सं0 210, मि0 स्थित ग्राम जयरामपुर मदारीगंज ऊँचाहार, जनपद रायबरेली। मकान एवं दुकान गाटा सं0 210/2 पी0जी0 गोडाउन (एस0डब्लू0सी0) गाटा सं0 2293, 2294 2295, 2301 स्थित जामों, अमेठी।	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	118000 वर्ग फिट लगभग	190400 वर्ग फिट लगभग	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	100000 वर्ग फिट लगभग	71000 वर्ग फिट लगभग	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	नहीं	नहीं	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	वर्ष 1995 से वर्ष 2008 तक	वर्ष 2003	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	500000/-	700000/-	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	विकास सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	1000000/- लगभग	1200000/- लगभग	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	1.राजमहल जामों गाटासं0 2273,2274 स्थित ग्राम जामों, अमेठी। 2.ग्रामसभा बेंती, कुण्डा, प्रतापगढ़। 3.ग्राम जगदीशपुर, जनपद अमेठी 4.विशालखण्ड	1.विशाल खण्ड गोमतीनगर बी 5/15 2.विशाल खण्ड गोमती नगर ई 1/430 3. विशाल खण्ड गोमती नगर 4ए/216 4.आलमबाग रामनगर 551झ/114 समस्त स्थित लखनऊ	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है


Handwritten signature or mark.



		गोमतीनगर 4/37 लखनऊ 5.2/181विवेक खण्ड लखनऊ	5.अहमदपुर नजूल कचेहरी रोड रायबरेली 629			
	क्षेत्रफल (वर्ग फुट में कुल माप)	40000 वर्ग फिट लगभग	8000 वर्ग फिट लगभग	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	20000 वर्ग फिट लगभग	6000 वर्ग फिट	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हो या नहीं)	हां, राजभवन जामों बाकी क्रय की गई	लागू नहीं	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	वर्ष 1996 से वर्ष 2014 तक	वर्ष 2005 से वर्ष 2015 तक	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	7000000/-लगभग	6500000/- लगभग	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	विकास सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	8000000/-लगभग	7000000/-लगभग	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) तक कुल चालू बाजार मूल्य	10200000/- लगभग	8750000/- लगभग	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है

(8). मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकारी के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ -
(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या वयष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरे का पृथक विवरण दें।)

क्र०सं०	विवरण	स्वयं	पति / पत्नी का नाम	आश्रित-1 नाम	आश्रित-2 नाम	आश्रित-3 नाम
(i)	बैंक / वित्तीय संस्था(संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	1. बैंक आफ बडौदा ऊँचाहार 2. पंजाब नेशनल बैंक कुल ऋण 1 करोड़ 50 लाख लगभग कैश क्रेडिट, के०सी० सी०, वाहन लोन आदि।	1. बैंक आफ बडौदा ऊँचाहार 2. पंजाब नेशनल बैंक कुल ऋण 1 करोड़ 30 लाख लगभग कैश क्रेडिट व टर्म लोन	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	कोई अन्य दायित्व	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	दायित्वों का कुल योग	1 करोड़ 50 लाख लगभग	1 करोड़ 30 लाख लगभग	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	जन आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है



	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	आय-कर शोध्य	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	धन कर शोध्य	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	सेवाकर शोध्य	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	विक्रय कर शोध्य	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	कोई अन्य शोध्य	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंशित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

क. स्वयं कृषि तथा व्यवसाय यथा - कोल्ड स्टोरेज, गैस एजेन्सी आदि।

ख. पति या पत्नी कृषि व पेट्रोल पम्प, पी0जी0 गोडाउन।

(10) मेरी शैक्षिक नीचे दिए अनुसार है :

कक्षा 9 मार्तण्ड स्कूल शीवां मध्य प्रदेश वर्ष 1983

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय

/ विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें

पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)


भाग - ख

(11) भाग - क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री अक्षय प्रताप सिंह
2.	डाक का पूरा पता	ग्राम व पोस्ट बेंती तह0 कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	10 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र प्रतापगढ़ उ0प्र0।
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	समाजवादी पार्टी
5.	ऐसे लंबित मामलों की संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	5 मामले
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय(न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न]	लागू नहीं है।
	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष	लागू नहीं है



	उहराया गया एक वर्ष या उससे अधिकके लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]					
7.	 का स्थायी लेखा सं० AOTPS2632H	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय		
	(क) उम्मीदवार का	अक्षय प्रताप सिंह	2015-2016	1349699/-		
	(ख) पति या पत्नी	मधुरिमा सिंह	2014-2015	819566/-		
	(ग) आश्रितों का	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।		
8.	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपयों में)					
	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित -2	आश्रित -3
क.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	5450000/-	6630000/-	4721000/-	1905000/-	लागू नहीं
ख.	स्थावर आस्तियां					
	(i) स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	1300000/- लगभग	850000/- लगभग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(ii) क्रय के पश्चात स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत(यदि लागू हो)	10200000/- लगभग	8750000/- लगभग	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	निम्नलिखित की अनुमानित					
	(iii) वर्तमान बाजार कीमत					
	(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	क. 10200000/- लगभग	क. 8750000/- लगभग	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	ख. 4900000/- लगभग	ख. 2000000/-लगभग			
9.	दायित्व					
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	(ii) बैंक, वित्तीय	1 करोड़ 50	1 करोड़ 30 लाख	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है



[Handwritten signature]

	संस्थाओं तथा अन्य से ऋण (कुल)	लाख लगभग	लगभग			
10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं					
(i)	सरकारी शोध (कुल)	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य से ऋण (कुल)	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
11.	उच्चतम शैक्षिक अर्हता : कक्षा 9 मार्तण्ड स्कूल रीवा मध्य प्रदेश वर्ष 1983 (प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें					

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है और कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :

- (क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 व 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।
- (ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9, और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 15.02.2016 को सत्यापित किया गया।


अभिसाक्षी

